सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री रमई राम
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

वर्ष 2013 -2014
के बजट की मांग संख्या - 40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का

वक्तव्य

मार्च, 2013

वर्ष 2013–14 के बजट की माँग सं0–40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

भूमि प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था, भू–अभिलेखों के नियमानुसार कालबद्ध रूप से निर्माण एवं संधारण तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों को आवश्यकतानुसार आवास एवं जीविकोपार्जन हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के नेतृत्व में जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

सुशासन के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा समाज के महादलित वर्ग के साथ–साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए भूमि का सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ प्रबन्धन प्रारम्भ कर दिया गया है।

1. **<u>महादलित विकास योजना</u>** : महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से राज्य में लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक / खास, गैरमजरूआ आम तथा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है। जिन वासभूमि रहित परिवारों को उपर्युक्त श्रेणी के भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें

रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत 20000/– (बीस हजार) रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार कुल 197845 (एक लाख सनतानवे हजार आठ सौ पैंतालीस) वासरहित महादलित परिवार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

इस योजना के तहत अबतक कुल–64544 (चौंसठ हजार पांच सौ चौवालीस) वासरहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि की बन्दोबस्ती से लाभान्वित किया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 1938.51 एकड़ है। इसी प्रकार 30525 (तीस हजार पांच सौ पच्चीस) वासरहित महादलित परिवार को गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती के द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 749.45 एकड़ है। इस वित्तीय वर्ष में बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत कुल–42294 (बयालीस हजार दो सौ चौरानवे) महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 1237.70 एकड़ है।

रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में 3286/– लाख (बत्तीस करोड़ छियासी लाख) रूपए का बजट उपबन्ध है। यह राशि सभी जिलों को अवशेष महादलित परिवार की संख्या के आलोक में आवंटित कर दी गयी है। इस वित्तीय वर्ष में अबतक 795.09 लाख(सात करोड़ पन्चानवे लाख नौ हजार) रूपए का व्यय किया गया है। इस मद में अबतक कुल–32961 (बतीस हजार नौ सौ इकसठ) वासरहित महादलित परिवारों को 03 डिसमिल प्रति परिवार के दर से रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। इसमें कुल सन्निहित रकबा 988.91 एकड़ भूमि है।

विभिन्न भूमि स्रोतों से अबतक कुल मिलाकर 170324 (एक लाख सत्तर हजार तीन सौ चौबीस) महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है।